

सरकारी कार्यालयों में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत प्रक्रिया

- मधुसूदन शर्मा

जीएसटी एक सामान्य परिचय

भारत के संविधान के अन्तर्गत 101 वें संविधान संशोधन विधेयक, 2016 के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, मानव के उपभोग को छोड़कर, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में परिभाषित किया गया है।

□ राज्य एवं केन्द्र के 16 अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर GST के रूप में एक कर लागू किया गया है।

□ जी एस टी विक्रय एवं निर्माण के स्थान पर माल एवं सेवा की सप्लाई पर लगाया जायेगा अर्थात् यह गंतव्य आधारित (Destination Based) अप्रत्यक्ष कर है।

□ पांच पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात् पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन को अस्थाई रूप से GST से बाहर रखा गया है।

जी एस टी के अन्तर्गत मुख्य रूप से तीन प्रकार से करारोपण किया गया है :-

● सप्लाई राज्य के भीतर होने पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) एवं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) को एक साथ लगाया जायेगा। (जैसे कोई वस्तु 18% GST के दायरे में है तो 9% CGST व 9% SGST देय होगा)

● सप्लाई यदि अंतर-राज्यीय है तो उस पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) प्रभाय होगा (जैसे अन्य राज्य की सप्लाई पर वस्तु 18% GST के दायरे में है तो IGST 18% देय होगा)

● देश में GST को 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है। GST के अन्तर्गत निम्न को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है :-

□ CGST/SGST की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक आपूर्तिकर्ता जो कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करता है और उसकी कुल बिक्री एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रु. की सीमा से अधिक है वह GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिये उत्तरदायी है।

□ GST अधिनियम की धारा 24 में कारोबार की कुछ श्रेणियों का उल्लेख किया गया है जिनको अनिवार्य रूप से GST में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है चाहे उनका टर्नओवर 20 लाख रु. की सीमा से कम हो।

सरकारी संस्थाओं के लिए GST के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं उत्तरदायित्व

□ राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/सरकारी उपक्रम/संस्थाओं के लिये GST अधिनियम की धारा 24 (i)(vi) के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है।

□ GST अधिनियम की धारा 51 के अनुसार सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों को संविदागत भुगतान करने के लिये, जहां पर एक करार के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता को कुल आपूर्ति का रु. 2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया जाना है, को भुगतान के स्रोत पर कर कटौति (TDS) करना आवश्यक होगा।

□ ऐसे किसी करार के अन्तर्गत DDO द्वारा राज्य से प्राप्त आपूर्ति के मामले में 1% CGST तथा 1% SGST, TDS के रूप में काटी जायेगी परन्तु यदि आपूर्ति अंतर-राज्यीय हो तो 2% की

दर से IGST, TDS के रूप में काटा जायेगा।

उदाहरण (1) राज्य में ही स्थित किसी सेवा प्रदायक फर्म के साथ कार्यालय का अनुबन्ध 10 लाख रु. का है परन्तु मासिक सेवा प्रदाय राशि 1 लाख रु. है तो GST पर TDS की कटौति निम्नानुसार होगी :-

फर्म का बीजक (Invoice)

(i) सेवा प्रदायगी राशि कुल 10 व्यक्ति 1,00,000/-

@ 10000 प्रति व्यक्ति

(GST दर 18%) CGST 9% 9,000/-

SGST 9% 9,000/-

कुल राशि 1,18,000/-

उपरोक्त बीजक में कर रहित राशि पर 1% CGST तथा 1% SGST, GST-TDS काटा जायेगा।

GST TDS कटौति

1% CGST 1,000/-

1% SGST 1,000/-

शुद्ध भुगतान देय राशि

1,16,000/-

लेखक सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- II के पद पर कार्यरत है। इन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिये राज्य स्तरीय योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी सेवाएं पदस्थापित विभागों में अत्यधिक सराहनीय रही हैं। - सम्पादक

आयकर अधिनियम का TDS पूर्व की भांति यथावत काटा जायेगा।
नोट : यदि उपरोक्त उदाहरण में राज्य से बाहर की फर्म के साथ अनुबन्ध 2.50 लाख से ज्यादा है तो GST पर TDS 2% की दर से IGST काटा जायेगा।

सरकारी संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया

□ सरकारी संस्थाओं अथवा सरकारी उपक्रमों को GST के अन्तर्गत TDS Deductor के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु GST पर Portal (www.gst.gov.in) पर GST-REG-07 फार्म में Online आवेदन करना होगा।

□ रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन फार्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से Class-2 और उपर्युक्त डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) या आधार आधारित ई-हस्ताक्षर या EVC (Electronic Verification Code) रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP प्राप्त कर हस्ताक्षरित होगा।

Tax Deductor द्वारा GST-REG-07 भरने की प्रक्रिया -

GST-REG-07 फार्म दो भागों में Part A तथा Part B में भरना होगा।

इसके लिए निम्नांकित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-

□ कार्यालय का TAN (Tax Deduction and Collection Account Number)/PAN (यदि कार्यालय व्यवसाय करती है तो)/Class-2 या उच्च Digital Signature Certificate या DDO का आधार नम्बर से ई-हस्ताक्षर या EVC, DDO का व्यक्तिगत PAN, पता, e-mail आदि।

फार्म में सर्वप्रथम Part A पूर्ण रूप से भरने पर e-mail और Mobile no. (DDO के) पर OTP प्राप्त होगी जिसको फार्म में भरकर Submit किया जायेगा उसके पश्चात् Form B, Portal पर प्राप्त होगा जिसमें कार्यालय/अधिकृत हस्ताक्षर प्राधिकारी DDO से सम्बन्धित जानकारी भरने पर DSC/आधार/EVC से ई-हस्ताक्षर कर फार्म सबमिट करना होगा।

फार्म के वेरिफिकेशन के बाद Form को Submit किया जायेगा। GST सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन के आवेदन फार्म को सही पाये जाने पर आवेदन के तीन दिन में GST-REG-06 Form में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा।

रजिस्ट्रेशन में संशोधन:- अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत GST में रजिस्ट्रेशन होने पर अर्थात् GST-REG-06 जारी करने के बाद यदि संशोधन कराना आवश्यक हो, जैसे DDO के नाम/PAN/Address/Mobile no. इत्यादि बदलने पर संशोधन आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी को Form REG-14 में GST Portal पर Online आवेदन करने पर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जायेगा।

रजिस्ट्रेशन का निरस्तीकरण

अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति/DDO के आवेदन पर या GST के निर्धारित प्रावधान या नियमों के उल्लंघन करने पर सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रेशन निरस्त कर सकता है। रजिस्ट्रेशन निरस्त होने पर Form REG-08 में पंजीकरण निरस्त की सूचना प्राप्त होगी।

GST रिटर्न भरने के लिए दायित्व

□ GST के अन्तर्गत प्रत्येक रजिस्टर्ड सरकारी संस्था/DDO को मासिक आधार पर GST R-07 फार्म में Online रिटर्न आगामी माह की 10 तारीख तक GST Portal (www.gst.gov.in) पर भरना होगा।

□ DDO द्वारा GST Portal पर Tax Deductor के रूप में जमा कराई गई रिटर्न GSTR-2A के फार्म C तथा GSTR-4A में स्वतः ही दर्शित हो जायेगी।

वस्तु एवं सेवा प्रदाता, जिसका TDS, DDO द्वारा काटा गया है, का TDS कटौति विवरण GST पोर्टल के Form REG-07A में दिखेगा।

धारा 51 के तहत TDS में की गई कटौति संबंधित प्रदायक के इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दिखाई देगी। संबंधित प्रदायक इस राशि का समायोजन GST कर, ब्याज, फीस, ब्याज या अन्य देयता के निवर्हन में करा सकता है।

GST कर के भुगतान की प्रक्रिया

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार GST के अन्तर्गत कर का भुगतान निम्न माध्यम से किया जा सकता है :-

- अधिकृत बैंको के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग
- GST के सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात् अधिकृत बैंको के माध्यम से Debit/Credit कार्ड द्वारा
- NEFT/RTGS द्वारा
- नकद/चेक/DD से रु. 10000/- रु. का एक चालान हेतु अधिकृत बैंक में OTC द्वारा

● अन्य व्यवस्था जो निर्धारित की जाये।

नोट :- राज्य सरकार के कार्यालयों में बैंक खाता नहीं है अतः TDS कटौति को जमा कराने की प्रक्रिया निर्धारित की जानी है।

GST में शास्ति/ब्याज

GST के अधिनियम के अनुसार निम्न लिखित स्थितियों में रजिस्टर्ड संस्था पर शास्ति/ब्याज लगाये जाने का प्रावधान है :-

(i) DDO द्वारा TDS कटौति कर राशि निर्धारित अवधि में राशि सरकार के खाते में जमा कराने के पश्चात् पांच दिवस में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता जिसके TDS की कटौति की गई है, को TDS Certificate जारी करना होगा। इसमें असफल रहने पर प्रतिदिन 100 रु. और अधिकतम 5000 रु. कटौतिकर्ता (DDO) के द्वारा देय होंगे।

(ii) अधिनियम की धारा 122 (1) के अनुसार किसी DDO द्वारा जिस प्रदायक का TDS काटा जाना आवश्यक था परन्तु नहीं काटा गया अथवा कम राशि की कटौति की गई हो अथवा धारा 122 (2) के अनुसार TDS कटौति की राशि सरकार के खाते में जमा नहीं कराई गई हो तो निम्नानुसार शास्ति देने के लिये उत्तरदायी होगा :-

दस हजार रुपये या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौति नहीं किये गये कर या कम कटौति किये गये कर या कटौति की गई हो परन्तु सरकार में जमा नहीं कराया गया कर में जो भी अधिक हो के समतुल्य राशि, शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वित्त विभाग के महत्वपूर्ण आदेश -

● सरकारी कार्यालयों को अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत TDS Deductor के रूप में धारा 52 में TDS Collector के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा परन्तु TDS की कटौति ऐसी बाद की तारीख से प्रारम्भ होगी जो पृथक से सूचित की जायेगी। वित्त विभाग आदेश दिनांक 26.06.2017 एवं 14.07.2017।

● निर्माण कार्यों में निर्माण के बिलों में बिक्री कर काटा जाता था उसके संबंध में वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक **F.16(23)/Tax/GST/CCT/17-18/3308 दिनांक 21.07.2017** में निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :-

GST अधिनियम की धारा 174 के अनुसार इस अधिनियम के जारी होने की दिनांक से पूर्व के प्रभावी अधिनियम RVAT-2013, Entertainment & Advertisement Act, 1957 Entry Tax on Motor Car Act, 1988, विलासिता कर 1990, राज. विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर अधिनियम 1994 तथा माल पर प्रवेश कर, 1999 को निरसित कर दिया गया है।

अतः वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण खंडों में 30.06.2017 तक निष्पादित Works-Contract के संबंध में यदि निर्माण कार्य दिनांक 1 जुलाई, 2017 से पूर्व पूर्ण हो चुका है अथवा 1 जुलाई, 2017 से पूर्व के निर्माण का Invoice, Contractor द्वारा जारी किया जा चुका है, चाहे उसका भुगतान 1 जुलाई, 2017 के पश्चात् किया जाये उस पर पूर्व की भांति RVAT (बिक्री कर) की कटौति ही की जायेगी।